

2020
प्रार्थीगण :-

1. वालाराम पुत्र मोटाराम वगैरा (4)
जाति देवासी निवासी रतनासर, मंगले की बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. लिखमाराम पुत्र पेमाराम वगैरा (11)
12. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री नारायण कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 13.11.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केम्प नेहरों का वास पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072-2075 सरहद मौजा रतनासर के खेत खसरा नम्बर 89 रकबा 73-06 बीघा, खसरा नम्बर 86, 88 रकबा क्रमशः 18-00, 00-03 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा रतनासर के खेत खसरा नम्बर 89 रकबा 73-06 बीघा, खसरा नम्बर 86, 88 रकबा क्रमशः 18-00, 00-03 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को 500/- शुल्क पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुडामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13/11/21 को प्रशासन गांवों के अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय नेहरों का वास में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)

उपस्थित अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल)

क्रमांक: वाद/2021/791

दिनांक : 23-11-21

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

बालराम

शिवराम

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गद्दी

राजस्व आवेदन सं. 122/20.....

निर्णय दिनांक :- 13-11-21

-:: आदेश ::-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम रतन के खेत खसरा
नम्बर 89 रकबा 73-06 खसरा नम्बर 86 रकबा 18-00 खसरा
नम्बर 88 रकबा 0-03 खसरा नम्बर रकबा एवं
खसरा नम्बर रकबा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार रुद्रामालानी को कमी नर नियुक्त
किया जाता है। कमीशनर फीश रुपये 500/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर
उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद
प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल

दिनांक : 23/11/21

क्रमांक: वाद/2021/792-794

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार रुद्रामालानी
2. थानाधिकारी R.G.T.
3. हल्का पटवारी गोपाल देव
4. प्रार्थी बालराम
5. विप्रार्थी शिवराम

को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी

कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल